न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/92/2019	2019/00186	10.10.2019	27.09.2021

01–चुन्नीलाल पुत्र सुवालाल जाति जाटव निवासी ग्राम बिचपुरी तहसील मालाखेडा(अलवर)वगै0

–अपीलांट

बनाम

01– राज0सरकार जरिये तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर।

–रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार मालाखेड़ा दिनांक 20.09.2019 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 12/19

उपस्थितः–

01–श्री आनन्द सिंह –वकील अपीलाण्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मालाखेडा के आदेश दिनांक 20.9.2019 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम बिचपुरी की सरकारी भूमि चारागाह के आ.ख.नं. 8 रकबा 3.87 है0में से 0.25 है0 पर कब्जा कर मकान आबादी एवं बाडा आदि बनाकर अतिक्रमण कर लिये जाने पर अतिक्रमी को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किये जाने तथा दण्ड स्वरूप लगान 0.50 का 50 गुना पेनल्टी/– तथा 3 माह के सिविल कारावास की सजा से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर होकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट के द्वारा खसरा नम्बर 8 पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है और न ही आज है। प्रश्नगत आराजी अपीलांट ने पूर्व आवंटी से जरिये इकरारनामा खरीद की है तथा कब्जा प्राप्त किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.9.2019 अपास्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अपीलान्ट की बहस का मनन किया। तहसीलदार मालाखेडा से विवादित आराजी के अतिक्रमण की वर्तमान रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मालाखेडा ने अपनी मौंका रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/21/835 दिनांक 10.09.2021 में अंकित किया है कि **"ग्राम बिचपुरी के विवादित आ.ख.नं. 8 रकबा 3.87 है0में से 0.25 है0 में अतिक्रमी द्वारा कच्चे व पक्के मकान बनाकर तथा बाडा व लकडी डालकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा है मौंके पर उक्त**

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अराजीयात पर अतिक्रमियान का अतिक्रमण पाया गया। तहसीलदार मालाखेडा द्वारा अतिक्रमियान को मौंके से बेदखल किये जाने वावजूद अतिक्रमियान ने प्रश्नगत आराजी से अपना अतिक्रमण नहीं हटाया है। प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धान्त एंव न्यायोचित प्रक्रियानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश यथावत रखा जाता है। तहसीलदार मालाखेडा को निर्देश दिये जाते है कि अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91(6)भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें एवं विवादित आराजी से तुरन्त अतिक्रमी का अतिक्रमण हटवायें।

निर्णय प्रति अधिनस्थ न्यायालय को उनके मूल रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्वर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर

निर्णय आज दिनांक 27.09.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर